



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

03 चैत्र, 1943 (श०)

संख्या- 219 राँची, सोमवार,

22 मार्च, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

17 फरवरी, 2020

संख्या-4/नियुक्ति-01-02/2019 का. 1261-- अपील वाद संख्या 641/2015, विवेक कुमार सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में चतुर्थ संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में अधियाचित निःशक्तजनों के बैकलॉग रिक्तियों के विरुद्ध झारखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3028 दिनांक 24.12.2019 द्वारा अनुशंसित निम्नांकित अभ्यर्थियों को झारखण्ड प्रशासनिक सेवा में मूल कोटि के वेतनमान (रु० 9300 -34,800/- ग्रेड पे - 5400 रु०, पुनरीक्षित वेतनमान- पे मैट्रिक्स- Level- 9) में परीक्ष्यमान उप समाहर्त्ता के रूप में उनके नाम के समक्ष स्तम्भ- V में अंकित जिला/संस्थान में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु योगदान की तिथि से औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए पदस्थापित किया जाता है:-

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम/ चयन कोटि	जन्म तिथि	गृह जिला	संस्थान/पदस्थापन का जिला
I	II	III	IV	V
1.	श्री राजेश्वर पाण्डेय, अनारक्षित (मूक एवं बधिर)	02.05.1971	कोडरमा	श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची
2	श्री दीपक कुमार दूबे, अनारक्षित (दृष्टिबाधित)	05.06.1978	राँची	श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची
3	श्री उपेन्द्र कुमार, अनुसूचित जाति (चलन निःशक्त)	10.03.1983	गढ़वा	श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची

(क) अभ्यर्थी की परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की होगी। संतोषप्रद सेवा नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

(ख) अभ्यर्थी को श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची में अधिसूचना निर्गत की तिथि से 30 दिनों के अन्दर योगदान देना है। उपर्युक्त निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने वाले अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

(ग) अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित प्रमाण पत्रों में यदि भविष्य में विसंगति पायी जाती है तो उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।

(घ) अभ्यर्थी योगदान देते समय कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या- 1919 दिनांक 28.01.76 द्वारा यथा दहेज न लेने से संबंधित घोषणा पत्र (प्रति संलग्न) एवं अधिसूचना संख्या- 5437 दिनांक 09.09.2010 एवं 9519 दिनांक 22.09.2014 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्यौरा विहित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।
